Helpline 1064 | 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नागौर में अजमेर डिस्काम का अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक 25 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *28 जून, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर नागौर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये प्रकाशचन्द हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की नागौर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि बिजली कनेक्शन का नाम परिवर्तन करने एवं विधुत क्षमता बढ़वाने की एवज में प्रकाशचन्द हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर द्वारा **25 हजार रूपये** (जिसमें राजकीय राशि 16–17 हजार तथा शेष राशि रिश्वत के रूप में) रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी नागौर इकाई के **पुलिस निरीक्षक सुशीला विश्नाई** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक मोहन सिंह एवं उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये प्रकाशचन्द पुत्र श्री बिरदीचन्द रेगर निवासी प्लॉट नं0 160 शास्त्री नगर ट्रक यूनियन के पीछे नागौर, हाल अभियांत्रिकी पर्यवेक्षक, कार्यालय सहायक अभियन्ता एवीवीएनएल (शहर) नागौर को परिवादी से **25 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।